निगरानी 2274-II-15

कताहुर सिंह राठौर तनय स्व. श्री ददई राठौर, उम्र 80 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम महरोई, तहसील बांधवगढ़, जिला उमरिया, (म.प्र.)

थानू तनय मटरु राठौर, उम्र 60 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम महरोई, तहसील बांधवगढ़, जिला उमरिया, (म.प्र.)

..... निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

बनाम

जयपाल राठौर तनय बुद्दू राठौर, निवासी ग्राम महरोई, तहसील बांधवगढ़, जिला उमरिया, (म.प्र.)

..... गैर निगराकार/अनावेदक

निगरानी प्रार्थना पत्र बावत् तहसीलदार महोदय, तहसील बांधवगढ़, जिला उमरिया, (म.प्र.) के सीमांकन प्र.क्र. अ–12/2014–15, क्र. 16 में सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 26.05.2015

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

मान्यवर,

निगरानी प्रार्थना पत्र के आधार निम्नलिखित हैं :–

1. यह कि मातहत न्यायालय तहसीलदार बांधवगढ़, जिला उमरिया द्वारा सीमांकन प्रकरण क्र. अ–12/2014–15 ग्राम महरोई का सीमांकन पुष्टिकरण आदेश दिनांक 26.05.2015 विधि विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है।

vXXXa BR H-11

राजस्व् मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

कताहुर सिंह राठौर/जयपाल राठौर
जिला –उमरिया

प्रकरण कमांक निग0 2274–दो/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.5.16	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील बांधवगढ़ जिला उमरिया के सीमांकन प्रकरण कमांक अ–12/2014–15 क.16 आदेश दिनांक 26–05–2015 से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । प्रकरण संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार न्यायालय में सीमांकन हेतु आवेदन दिया । तहसीलदार बांधवगढ़ द्वारा सीमांकन हेतु सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को सीमांकन हेतु आदेशित किया । उन अधिकारियों द्वारा सीमांकन कर प्रतिवेदन तहसीलदार को 18–05–15 को प्रस्तुत किया तहसीलदार ने उसकी पुष्टि कर दिनांक 26–05–2015 को प्रस्तुत किया । जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई । आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि सीमांकन करने वाले अधिकारियों द्वारा सरहदी काश्तकारों को सूचना दिये बिना सीमांकन की कार्यवाही की गई । सीमांकन पंचनामा में निगरानीकर्ता द्वारा लगाया गया अंगूठा भी फर्जी है बिना मौके पर जाए ही सीमांकन किया गया । उस पंचमाना में निगरानीकर्ता कताहुर सिंह पिता ददई का अवैध कबजा बताया गया । जिसके आधार पर आवेदक के खिलाफ 250 की कार्यवाही शुरू हो गई । जबकि इस मामले में सिविल कोर्ट से उसके पक्ष में हो गया है, जिसमें आवेदक का कब्जा	

	उचित माना है । प्रकरण का अवलोकन किया । इससे प्रकट होता है कि अनावेदक जयपाल के आवेदन पर तहसीलदार द्वारा सीमांकन हेतु सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख राजस्व निरीक्षक तथा तथा पटवारी को आदेशित करने पर उनके द्वारा दिनांक 20–03–2015 को सीमांकन किया गया । सीमांकन कर प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया । प्रतिवेदन के अनुसार सीमांकित भूमि का उत्तरी पश्चिमी कौना जो बन्दोबस्ती रास्ता से लगा हुआ है । नक्शा अनुसार मौके पर नाप में सही पाया गया । उत्तरी पूर्वी कौना में कताहुर पिता ददई राठौर द्वारा 0.15 कड़ी चौडाई पर अतिकमण कर बाड लगाई गई । तथा सीमांकित भूमि की उत्तरी सीमा में औसत रकबा 7.50 कड़ी X 2.90 जरीब =0.009 है0 पर कच्चा पक्का मकान तथा बाड़ी बनाकर कब्जा पाया गया । । इस प्रकार अनावेदक धानू पिता मटरू राठौर द्वारा भी 0.005 है0 पर पक्का मकान बनाकर कब्जा पाया गया । इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा भी कब्जा होने का उल्लेख किया गया है । सीमांकन प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि आवेदक द्वारा कलेक्टर, को जन सुनवाई में इस आशय का आवेदन दिया गया कि अवैध कब्जा के मकान का क्षेत्रफल प्रतिवेदन में दर्ज किया जाए । इस आशय का आवेदन जयपाल राठौर द्वारा दिये जाने पर दिनांक 18–05–2015 को पुनः स्थल पर जाकर अतिकमित रकवा को नापा गया जिसमें सीमांकित भूमि के उत्तरी पश्चिमी कौना से पूर्व की ओर 1.20 जरीब पर 0.6 कडी चौडाई में कच्चा पक्का मकान बनाकर कतहुरा पिता ददई राठौर का कब्जा पाया गया । दिनांक 25–03–2015 का पंचनामा प्रकरण में संलग्न है । जिस पर आवेदक कताहुर के अंगूठा हस्ताक्षर है । परन्तु दिनांक	

3 R 2274-II/15

12–5–2015 को पुनः स्थल पर जाकर अतिक्रमित रकबा को नापकर कतहुरा द्वारा बनाये गए कच्चे पक्के मकान का क्षेत्रफल निकालने की कार्यवाही का मौका पंचनामा उपलब्ध नहीं है । चूंकि सीमांकन प्रकरण की सत्यापित प्रति निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है । इसलिये यह नहीं कहां जा सकता की दिनांक 18–05–2015 को अतिक्रमित रकबा नापने की कार्यवाही का पंचनामा बनाया अथवा नहीं । आवेदक अभिभाषक द्वारा उक्त सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर धारा–250 की कार्यवाही प्रारम्भ होने का उल्लेख है, परन्तु इस संबंध में कोई अभिलेख आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है । सीमांकन दल द्वारा दिनांक 20–03–2015 को किया गया सीमांकन प्रतिवेदन के साथ मौका पंचनामा जिस पर आवेदक के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के भी हस्ताक्षर है । फील्डबुक एवं नक्शा की सत्यापित प्रति संलग्न है । अत यह नहीं कहा जा सकता कि सीमांकन के समय आवेदक को कोई सूचना नहीं थी । यदि सिविल न्यायालय से आवेदक के पक्ष में सीमांकित भूमि पर उसका कब्जा सही मानने का आदेश है तो आवेदक के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही होने पर उसे सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में आवेदक द्वारा सिविल न्यायालय के विवादास्पद भूमि पर उसके कब्जे या स्वत्व के संबंध में किये गये किसी आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की है । आवेदक स्वयं भी अपने भूमि स्वामित्व की भूमि का सीमांकन कराने के लिये भी स्वतंत्र है । अतः उक्त स्थिति में निगरानी ग्राहय करने का कोई औचित्य न होने के कारण यह निगरानी अग्राहय की जाती है ।

सदस्य